पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

विविध अपील सं. 201/2014

==========

शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा पटना सिटी, पटना। उप प्रबंधक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पीरमोहनी, पटना के माध्यम से अपील

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम्

1. संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय रामदास ठाकुर। रोजेरा, जिला-समस्तीपुर के निवासी।
2. अभय प्रताप पुत्र विजय प्रताप। बदर घाट, थाना गुलजारबाग, जिला-पटना के निवासी।
3. अवध सिंह पुत्र उत्तम सिंह। चतुर्भुज छपड़ा, थाना बनियापुर, जिला-सारण के निवासी।

.....उत्तरदाता/गण

==========

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 140, धारा 173-अपर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील-कानूनी प्रतिनिधि मनोज कुमार ठाकुर का भाई है, जिसकी एक बस द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिस पर मृतक एक यात्री था-न्यायाधिकरण केवल आश्रितों को मुआवजा देता है-मृतक का कोई कमाई नहीं थी-कानूनी प्रतिनिधि एक गैर-कमाई करने वाला व्यक्ति है-मृतक पर निर्भर नहीं है-निर्भरता के अभाव के कारण देयता समाप्त नहीं होती है-न्यायाधिकरण ने मुआवजे के रूप में छह प्रतिशत ब्याज के साथ दावेदार को 3,59,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

आयोजित किया गयाःअपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी जिसमें अपीलार्थी को 50,000 रुपये में से पहले से भुगतान की गई राशि को घटाकर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

विविध अपील सं. 201/2014

==========

शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा पटना सिटी, पटना। उप प्रबंधक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पीरमोहनी, पटना के माध्यम से अपील

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम्

1. संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय रामदास ठाकुर। रोजेरा, जिला-समस्तीपुर के निवासी।
2. अभय प्रताप पुत्र विजय प्रताप। बदर घाट, थाना गुलजारबाग, जिला-पटना के निवासी।
3. अवध सिंह पुत्र उत्तम सिंह। चतुर्भुज छपड़ा, थाना बनियापुर, जिला-सारण के निवासी।

.....उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर सेः श्री दुर्गेश कुमार सिंह, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर सेः श्री सत्य प्रकाश सिन्हा, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर सेः श्री अनिरुद्ध कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

==========

कोरम (समक्ष): माननीय न्यायमूर्ति श्री बीरेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

दिनांक: 05-02-2019

पक्षों को सुना।

2. यह अपील *ओरएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* द्वारा मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 173 के तहत 1994 के दावा मामले संख्या 13 में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश-सह-प्रथम अवर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण हाजीपुर, वैशाली द्वारा क्रमशः पारित निर्णय दिनांक 12.12.2013 और पंचाट दिनांक 17.12.2013 के खिलाफ की गई है जिसके तहत न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता को छह प्रतिशत ब्याज के साथ दावेदार को रु. 3,59,000- (तीन लाख और 59 हजार रुपये) का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

3. अपील पर 09 दिनों की सीमा से रोक लगा दी गई है। विलंब की व्याख्या 2014 के आई. ए. No.9453 में की गई है। इसलिए विलंब को माफ कर दिया जाता है।

4. *मनोज कुमार ठाकुर* की मृत्यु 10.10.1993 पर पंजीकरण संख्या बीआरके-7561 वाली बस के कारण हुई एक मोटर वाहन दुर्घटना में हो गई। जिस पर मृतक एक यात्री था।

5. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति यह है कि शुरू में मृतक के पिता एक दावेदार थे और उनकी मृत्यु के बाद, मृतक के सगे भाई *संतोष कुमार*, प्रतिवादी संख्या 1 को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिस्थापित किया गया था।

6. तर्क यह है कि *संतोष कुमार* कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा के भीतर आते हैं, जो न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे के लिए मामला ला सकते हैं। हालाँकि, न्यायाधिकरण केवल आश्रितों को मुआवजा प्रदान करेगा जैसा कि द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने **श्रीमती मंजुरी बेरा बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य**,

2007 की सिविल अपील सं. 1702 के माध्यम से 30 मार्च, 2007 को अभिनिर्धारित किया था।

7. विवादित आदेश से पता चलता है कि मृतक की आयु लगभग 28 वर्ष थी। उनके पास कोई कमाई नहीं थी। इसलिए, रु.100- (एक सौ रुपये) की अनुमानित आय को गुणक के रूप में लिया गया था।

8. मंजुरी बेरा के मामले के फैसले के कंडिका 11 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> **"ऐसे कई कारक हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 140 के तहत देयता समाप्त नहीं होती है क्योंकि निर्भरता का अभाव है। दावा आवेदन दायर करने के अधिकार पर पात्रता के अधिकार की पृष्ठभूमि पर विचार किया जाना चाहिए। मात्रा का आकलन करते समय, निर्भरता से वंचित होने के कारण गुणक प्रणाली लागू की जाती है। दूसरे शब्दों में, गुणक एक माप है। हकदारी के सवाल का आकलन करते समय तीन चरण होते हैं। सबसे पहले, उस व्यक्ति का दायित्व जो उत्तरदायी है और उस व्यक्ति का दायित्व जो दायित्व की क्षतिपूर्ति करने वाला है, यदि कोई हो। अगला परिमाणीकरण है और धारा 166 मुख्य रूप से वसूली कार्यवाही की प्रकृति का है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 140 के संदर्भ में देयता निर्भरता के अभाव के कारण समाप्त नहीं होती है। अधिनियम की धारा 165 भी विवाद पर कुछ प्रकाश डालती है। स्पष्टीकरण में धारा 140 और 163 ए के तहत देयता शामिल है। "**

9. जाहिरा तौर पर, आवेदक मृतक पर निर्भर नहीं था, जो स्वयं एक बिना कमाई करने वाला व्यक्ति था। अतः, अपीलार्थी उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए केवल रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) की सीमा तक का हकदार होगा।

10. इसलिए, इस अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है जिसमें अपीलार्थी को पहले से भुगतान की गई राशि को घटाकर रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

11. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस अपील को दाखिल करने के समय रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) की शेष राशि को वैधानिक राशि के रूप में जमा किया गया है। इसलिए, उसी का भुगतान दावेदार को चेक के माध्यम से किया जाए।

12. रजिस्ट्री दावेदार के नाम पर चेक भेजेगी।

(बीरेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

अभिषेक/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।